3

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–07 / 2023–24

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

रंजीत कुमार यादव

–::आदेश::–

28.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–22 / 2023, दिनांक–15.04.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि चास (मु0) थाना कांड सं0–24 / 2023, दिनांक–01.02.2023 के अन्तर्गत जप्त ट्रक वाहन सं0–CG04JB 7057 एवं उस पर लदा करीब 25 टन कच्चा कोयला वाहन चालक श्री रंजीत कुमार यादव पिता रघुनाथ यादव, सा0–झरिया पो0– भागा, थाना झरिया, जिला धनबाद के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं उस पर लदे कोयला खनिज को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–01.02.2023 को प्रातः 03:00 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक धनबाद की ओर से कोयला लोड कर आ रही है। इस सूचना पर चास(मु0) थाना के पास चेकिंग करने के क्रम में ट्रक सं0–CG04JB-7057 को रूकने का इशारा करने पर चालक के द्वारा वाहन को तेजी से चलाते हुए भागने लगा। तभी ग्राम नावाडीह एन0एच0–32 के पास चालक को खदेड़कर पकड़ लिया गया। जाँच के क्रम में उक्त वाहन पर कच्चा कोयला लोड पाया गया। लोड कोयला के संबंध में कागजात माँगे जाने पर उनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। चालक का पुलिस को देखकर भागना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उनके द्वारा अवैध तरीके से प्रश्नगत कोयले का

परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी को निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया था किन्तु नोटिस बिना तामिला के ही वापस हो गया। तत्पश्चात समाचार पत्र के माध्यम से आम सूचना का प्रकाशन कर विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। उसके बाद भी वह वाद के सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना परिवहन चालान के ही कोयले का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के कोयले का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। जप्त वाहन को अवैध रूप से कोयला का खनन कर परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के तहत प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–22/2023, दिनांक–15.04.2023 को स्वीकृत करते हुए चास (मु0) थाना कांड सं0–24/2023, दिनांक–01.02.2023 के अन्तर्गत जप्त ट्रक वाहन सं0–CG04JB-7057 एवं उस पर लदा करीब 25 टन कच्चा कोयला को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28.7.23 समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

28.7.23 समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.20 15:30:05 +05:30
Location: 192.168.1.110